UPBS120000252020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 22/2020

अवधेश कुमार बनाम श्रीमती गौतम देवी आदि

<u>13.09.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 13 क[2] पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 13 क[2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में टाइपिंग की गलती से कुछ तथ्य दर्ज होने से छूट गए हैं, जिन्हें जरिए संशोधन वादपत्र में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 13 क[2] के माध्यम से वादपत्र में संशोधन किए जाने की याचना की गयी है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वाद के न्याय निर्णयन में सहूलियत होगी। अतः प्रार्थनापत्र 13 क[2] न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 13 क[2] स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते वादोत्तर/वादबिन्दु दिनांक 01.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।